BCC BULLETIN
THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE
Vol. XXXXIII | 18th April 2012 | No. 4

आखिर महंगी हुई बिजली

एक अप्रैल से बिजली और महंगी हुई। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव पर जन सुनवाई के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अधिकतम 12.1 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी। इस वृद्धि में कुटीर ज्योति, कृषि व अन्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को बाहर रखा गया है। प्रस्ताव के अनुरूप टैरिफ में वृद्धि की मंजूरी नहीं मिलने पर बिजली बोर्ड ने केंद्रीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने का निर्णय लिया है।

टैरिफ वृद्धि के तहत शहरी क्षेत्र में जहां पहले न्यूनतम सौ यूनिट खपत करने पर 2.50 रुपये प्रति यूनिट अदा करने पड़ते थे। अब 2.60 रुपये भुगतान करने होंगे। इसी तरह 101 से 200 यूनिट में अब 3,10 रुपये के स्थान पर 3.20 रुपये, 201 से 300 यूनिट में 3.75 रुपये के स्थान पर 3.85 रुपये और 300 यूनिट से अधिक होने पर 4.70 रुपये के स्थान पर 4.90 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करने होंगे। रेलवे के तर्ज पर आयोग ने बिजली कनेक्शन में भी तत्काल सेवा लागू की है।

कनेक्शन शुल्क दोगुना देने पर 15 दिनों में ही उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन मिल जायेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष यू एन पँजियार ने सदस्य एस. सी. झा की मौजूदगी में इसकी घोषणा की। नये टैरिफ में वृद्धि की घोषणा करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि यह एक अप्रैल से प्रभावी होगा। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 8338.40 करोड़ रुपये का राजस्व गैप और 1757.10 करोड़ रुपये रेगुलेटरी एसेट दिखाते हुए टैरिफ में लगभग 50 प्रतिशत औसतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने 841.17 करोड़ रुपये का राजस्व गैप स्वीकृत किया, जिसमें 683.90 करोड़ रुपये राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह 157.86 करोड़ रुपये का रेगुलेटरी एसेट रखा गया है। टैरिफ की रूपरेखा में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में 42 प्रतिशत, तो 2012-13 में 41 प्रतिशत संचरण एवं वितरण नुकसान की बात कही थी, लेकिन आयोग ने इसे क्रमशः 29 प्रतिशत व 27.5 प्रतिशत माना है। अर्थात आपूर्ति की जानेवाली बिजली में से लगभग 28 प्रतिशत को छोड़ कर ही आकलन कर टैरिफ में वृद्धि की गयी है। अध्यक्ष ने कहा कि जिन क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जायेगी, उन इलाकों में सबसे पहले तार व कंडक्टर सहित अन्य विद्युत उपकरण बदलने होंगे।

11 केवी के फीडर को चिह्नित करना होगा। साथ ही आम लोगों को सुविधा के लिए एक टेलीफोन नंबर भी जारी करना होगा। तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। नये विद्युत कनेक्शन लेनेवाले उपभोक्ताओं से डेवलपमेंट शुल्क लेने के लिए विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है। जबकि, तत्काल योजना के तहत विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। विद्युत अधिनियम के तहत नया कनेक्शन एक महीन में दिया जाता है। तत्काल में दोगुना शुल्क के साथ यह 15 दिनों में उपलब्ध हो जायेगा। एचटी कनेक्शन में यह लागू नहीं होगा। तय समय में कनेक्शन नहीं देने पर बोर्ड को पैसे वापस करने होंगे। बिजली बिल भुगतान में नियत तिथि से 10 दिनों का ग्रेस पीरियड को हटाने के लिए बोर्ड ने अनुरोध किया था। जिसे खारीज कर दिया गया है।

• बिजली की दर में बढ़ोतरी सही नहीं है। पिछले साल भी दर में बढ़ोत्तरी हुई थी और इस साल भी बढ़ोतरी हुई है। इससे आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ गया है। उद्योग पर भी इसका खराब असर पड़ेगा। क्योंकि दूसरे स्टेट में बिजली की दर यहां से कम है।

ओ. पी. साह अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स

• बोर्ड का पुनर्गठन हो रहा है, यह पांच कंपनियों में विभक्त होगी। वितरण के लिए दो कंपनियां, जो उत्तर व दक्षिण बिहार को देखेंगी। संचरण व उत्पादन की एक कंपनी होगी। एक बिजली बोर्ड की पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगी, जो होल्डिंग कहलायेगी।

यू. एन. पंजियार अध्यक्ष, विनियामक आयोग

विद्युत दरों में वृद्धि राज्य के आर्थिक विकास के लिए बाधक - चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत दरों में की गई वृद्धि पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है।

विद्युत दरों में हुई वृद्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि यह वृद्धि विद्युत बोर्ड की घोर अकुशलता का परिणाम है जिसका खामियाजा राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड में अत्यधिक ऊँचा स्थापना व्यय, बिजली के ट्रांसमिशन तथा वितरण में भीषण हानि, बोर्ड द्वारा उत्पादित विद्युत की अत्यन्त ऊँची लागत तथा बिजली की चोरी को रोकने में विद्युत बोर्ड की नाकामी, विद्युत शुल्क में की गई बढ़ोत्तरी के मुख्य कारण हैं जिससे सभी तरह के विद्युत उपभोक्ता ग्रामीण या शहरी, घरेलू या व्यावसायिक एवं औद्योगिक बुरी तरह प्रभावित होंगे।

उन्होंने कहा कि गत पन्द्रह महीनों में विद्युत दरों में दो बार वृद्धि की गई है। साथ ही ईंधन अधिमार के रूप में भी विद्युत उपभोक्ताओं पर लगातार प्रतिमाह अतिरिक्त आर्थिक बोझ लादा गया है। नई दर तालिका में औसतन 12% की वृद्धि की गई है जो राज्य के आर्थिक विकास में अवरोधक है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में विद्युत दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में पहले से ही ऊँची है और वर्तमान बढ़ोत्तरी आग में घी का काम करेगी जिसके फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार और भी ज्यादा प्रभावित होंगे और पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रतियोगिता में ठहरने की उनकी शक्ति घट जायेगी जिससे राज्य के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के कारण राज्य में विकास एवं निवेश का अनुकूल माहौल बना है परन्तु विद्युत शुल्क में इस वृद्धि से राज्य में तेजी से बढ़ती औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रभावित होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग को विद्युत की दरों को बढ़ाने की अनुमति देने के बदले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अपने कार्यकलापों में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश देने की अपेक्षा की जा रही थी। माननीय आयोग द्वारा बोर्ड को निर्देशित किये जाने की अपेक्षा थी कि वह संचरण एवं वितरण में हो रही व्यापक हानि को कम करने का ठोस प्रयास करे, बिना मीटर के विद्युत उपयोग करनेवाले लाखों उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाना सुनिश्चित करे तथा एनर्जी ऑडिट की व्यवस्था करे। यदि विद्युत बोर्ड द्वारा उक्त कदम उठाए गये होते तो दुर्लभ राष्ट्रीय संपदाओं की काफी बचत होती तथा विद्युत दरों में वृद्धि करने की जगह इसे घटाया जा सकता था।

चैम्बर अध्यक्ष ने सूचित किया कि नई विद्युत दर तालिका में ईंधन अधिमार एवं प्रिमियम टैरिफ को भी नहीं हटाया गया है जो कि उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के नाम पर 10% प्रिमियम टैरिफ का प्रावधान किया है जबकि विद्युत बोर्ड एवं उपभोक्ता के बीच हुए एग्रीमेंट में ही यह सन्निहित रहता है कि बोर्ड निर्बाध एवं क्वालिटी पावर मुहैया करायेगा। इसलिए कुछ अधिक घंटे बिजली आपूर्ति के नाम पर प्रीमियम वसूलने की अनुमति दिया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। विशेषकर एक ऐसे समय में जबकि विद्युत बोर्ड राजधानी पटना में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति में सक्षम नहीं हो पा रही है और राजधानीवासियों को प्रायः पावर कट की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

चैम्बर अध्यक्ष ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उसने AMC/MMC Charge से भी HT उपभोक्ताओं को मुक्त कर दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले टैरिफ में सभी प्रकार के Minimum Charges जिसमें Demand Charges भी शामिल होंगे, को आयोग पूर्णतः समाप्त करे देगा। उन्होंने आगे कहा कि विद्युत बोर्ड के खातों का सत्यापन किया जा चुका है तथा इससे लगभग 825

(अंतिम मानी हुई... प्रथम पृष्ठ का शेष)

शहरी क्षेत्र में

यूनिट	वर्तमान	एक अप्रैल से
1-100	2.50 रु	2.60 रु
101-200	3.10 रु	3.20 रु
201-300	3.75 रु	3.85 रु
300 से अधकि	4.70 रु	4.90 रु

फ्लैट व अपार्टमेंट का विद्युत सरचार्ज

यूनिट	वर्तमान	एक अप्रैल से
1-100	4.70 रु	4.70 रु
101-200	5.00 रु	5.00 रु
200 से अधकि	5.35 रु	5.40 रु

धार्मिक स्थलों का विद्युत सरचार्ज

यूनिट	वर्तमान	एक अप्रैल से
1-100	2.50 रु	2.75 रु
101-200	3.20 रु	3.50 रु
200 से अधकि	3.85 रु	4.30 रु

एलटी इंडस्ट्री का विद्युत सरचार्ज

यूनिट	वर्तमान	एक अप्रैल से
उद्योग सिंगल फेज-एक	4.50 रु	4.95 रु
उद्योग डबल फेज-दो	4.80 रु	5.30 रु
पानी पिलाने पर	3.90 रु	6.50 रु
स्ट्रीट लाइट	4.00 रु	6.50 रु

सिंचाई/खेती कार्य

एक एचपी में ग्रामीण क्षेत्र का महीना	120 रु	120 रु
एक एचपी में शहरी क्षेत्र का महीना	145 रु	145 रु
स्टेट ट्यूबवेल प्रति एचपी (प्रति महीने)	550 रु	900 रु
स्टेट शहरी क्षेत्र में प्रति एचपी (प्रति महीने)	600 रु	1000 रु
स्टेट ट्यूबवेल में	2.40 रु प्रति यूनिट	6.00 रु प्रति यूनिट
स्टेट ट्यूबवेल शहरी क्षेत्र	2.60 रु	7.00 रु

एचटी इंडस्ट्री का विद्युत सरचार्ज

11/6.6 केवी	4.85 रु	5.35 रु
33 केवी	4.75 रु	5.20 रु
132 केवी	4.70 रु	5.10 रु

साभार : प्रभात खबर - 31.03.2012

(विद्युत दरों में... प्रथम पृष्ठ का शेष)

करोड़ का Surplus ज्ञात हुआ है। उन्होंने माननीय आयोग की इस बात के लिए भी सराहना की कि इस बार विद्युत टैरिफ की घोषणा ससमय की गयी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी विद्युत टैरिफ समय पर ही घोषित किया जाएगा।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत बोर्ड के गत वर्ष के खातों के Truing up से ज्ञात हुआ है कि बोर्ड के पास काफी Surplus राशि पड़ी हुई है। अत: उन्होंने माननीय आयोग से अनुरोध किया कि विद्युत बोर्ड को निर्देश दिया जाए कि बोर्ड अपने द्वारा वसूले गए ईंधन अधिभार की राशि को उपभोक्ताओं को वापस लौटाये अथवा उसका सामंजस्य करे।

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Date : 30.03.2012

SALIENT FEATURES

• The tariff rates will be effective from 1st April, 2012. • Very moderate increase of about 12.1% in overall tariff rates has been approved from which additional revenue of Rs. 348.06 crores will come to the Board. • Existing tariff rate of Kutir Jyoti, Agriculture and other rural consumers has been retained. • ARR and Tariff proposal for FY 2012-13 was submitted by the Bihar State Electricity Board (BSEB) on 15th November, 2012. • Revenue gap of Rs. 8338.40 crores projected by BSEB out of which Rs. 1757.10 crores was proposed to be met by increase of about 50% in overall tariff rates leaving regulatory asset of Rs. 6551.30 crores. • Revenue gap of Rs. 841.17 crores was approved by the Commission out of which Rs. 683.90 crores to be met by State Govt. subsidy and rest 157.26 crores left as regulatory asset. • No major changes in the tariff structure and terms and conditions has been done. • The Commission has tried to protect revenue interest of the Board and also to ensure that the consumers are not subjected to high tariff escalation. • 10% premium on energy bill has been allowed for providing close to 24 hours of supply and attending complaints round the clock to notified areas. • The existing cross subsidy surcharge for consumers willing to avail power on open access has been reduced to about 50% (fifty) percent to attract power from outside the State has been retained. • The proposal of the Board for withdrawal of grace period of 10 days for levy of delayed payment surcharge has not been accepted by the Commission, the existing provision has been retained. • The proposal of the Board for levy of development charges from prospective new consumers has not been accepted by the Commission. • The Commission has accepted the proposal of the Board to give new connection under Tatkal Scheme on double rate of application fee and service connection chargers. • The existing rate of rebate for timely payment and the rate of the delayed payment surcharge have been retained.

BCC : ROLL BACK EXCISE DUTY ON GOLD JEWELLERY

Expressing serious concern over the ongoing strike of the bullion traders, the Bihar Chamber of Commerce on 05. 04. 2012 (Thursday) urged prime minister Manmohan Singh and union finance minister Pranab Mukherjee to review and rollback the decision of imposing excise duty on unbranded gold jewellery in the interest of the consumers and the traders in the country.

Reacting to the issue, Chamber president O P Sah, said here that the Union Budget 2012-13 had proposed to impose 1% excise duty on unbranded gold jewellery, which would badly affect bullion trade across the country and hence the Bihar Chambers of Commerce supported the agitation of the bullion traders.

He said imposition of excise duty on unbranded gold ornaments would directly affect millions of artisans and small bullion traders to whom their business was the sole medium of livelihood.

The proposed imposition of excise duty will ruin their business prospects and may also force such traders to close down their shops, rendering them unemployed.

He further said, the bullion traders in reference in the state were mostly on the very well-educated and could not afford to hire personnel to undertake paperwork for excise duty. It would encourage 'inspector raj,' which would be detrimental to the bullion trade.

(Source : Hindustan Times, 06.04.2012)

The Bihar Gazette
Extra ordinary
Published by Authority

9 CHAITRA 1934(S)
(NO. PATNA 120) PATNA, THURSDAY, 29TH MARCH 2012

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, PATNA

NOTIFICATION

The 29th March, 2012

No. BERC- Regulation 6/06 (Part-IV-I)-02-In exercise of power conferred by Section 181 (1) and 181 (2) (X) read with Section 50 of the Electricity Act' 2003 and for removal of difficulties of various stakeholders, Bihar Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in Bihar Electricity Supply Code, 2007 which was originally issued vide Notification No. BERC/Reg-6/2006/529 dated 31st December, 2007

2nd Amendment to Bihar Electricity Supply Code 2007

1. Amendment in chapter 2 of the code-
In the Bihar Electricity Supply Code, 2007 (hereinafter called the Principal Code), the last two lines of clause 2.2 is substituted by-
"In case of any inconsistency between the code and Tariff order in force, the provisions and meanings contained in the Electricity supply code shall prevail."

2. Amendment in chapter 3 of the Code-
The clause 3.4 of chapter 3 shall be substituted by-
"The supply voltage for different contact demands shall normally be as follows,"

Supply Voltage	Minimum Contract Demand	Minimum Contract Demand
230 Volts	----------	Up to 7 K W
400 Volts	5 K.W and above	70 K W
11 K V	75 K V A.	1500 K V A.
33 K V	1000 K V A.	15000 K. V A.
132 K.V	7500 K. VA.	----------

LT Agriculture and Lt Industrial Consumer of load between 2 KW & 5 KW have option to avail supply at 230 volts 400 volts.

3. Amendment in chapter 4 of the code -
(i) *The existing clause 4.13 of the principal Code be numbered as 4.13 (A).*
(ii) A new clause 4.13 (B) shall be inserted as
"4.13 (B) The person residing/occupying in the premises such as road side panwala, shops, jhuggi jhopari, slum settlers etc. on encroached Govt./Semi Govt./public land and have taken a shape of settlement desirous of taking new electric connection and are unable to furnish proof of ownership of premises shall be allowed to take electric connection on submission of the followings.
(i) Application in prescribed format in Annexure-1 of the Code.
(ii) Proof of occupancy such as Attested true copy of proof of identity (voter ID card, or BPL card or PAN card or Ration Card with photograph or latest Bank/Post Office Pass book with photograph or passport or driving license or MNREGA identity card or any other photo identity card issued by Government).
(iii) Submit Affidavit in the format in Annexure-1 A
(iv) Deposit all the required charges for taking new electric connection.
However the release of the electric connection does not confer any legal right over the premises whatsoever in any manner."

4. Amendment in Chapter 7 of the Code-
(i) The following shall be added at the end of clause 7.7 (a)-
" However in case the service line has not been removed by the licensee and a consumer desires to revive his permanently disconnected connection, it may be revived after payment of demand charges/fix charges and minimum charges and disconnection/reconnection charges by the consumer for the period of the disconnection"
(ii) The following shall be added at the end of clause 7.11 (5)
"In case Consumer of DS and NDS category apply for enhancement of load and declare that necessary modification in wiring has been made, and if no action is taken by the licensee within the stipulated period, the applied load shall be deemed to have been sanctioned after thirty days of receipt of application. The requisite charges if not paid earlier shall be payable on the receipt of the demand form the licensee".
(iii) The following shall be added at the end of caluse 7.14 (3)
" If the applicant is not able to pay the full dues at a time, the licensee may grant suitable installments. In case of non payment of installments the dues will be transferred to new service connection".
(iv) A new clause shall be inserted as 7.14 (4)
" In case the service line has not been removed by the licensee and a consumer desires to revive his permanently disconnected connection, it may be revived after payment of demand charges/fix charges and minimum charges and disconnection / reconnection charges by the consumer for the period of the disconnection"

By the order of the Commission,
Sd/-Illegible,
Secretary,
Bihar Electricity Regulatory Commission.

बिजली बोर्ड पुर्नगठन में एक और कदम बढ़ी सरकार
पांचों कंपनियों में अधिकारी तैनात

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पुनर्गठन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। पुनर्गठन के तहत बनी पांचों कंपनियों में अधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है। सभी अधिकारियों को निदेशक, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष बनाया गया है। होल्डिंग कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की जिम्मेवारी बिजली बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की जिम्मेवारी बिजली बोर्ड के अध्यक्ष प्रभात कुमार राय को दी गयी है। बोर्ड के अध्यक्ष सहायक अन्य चार कंपनियों में अध्यक्ष के पद पर काम करेंगे। वहीं, जिन सहायक कंपनियों में जिन अधिकारियों को प्रबंध निदेशक बनाया गया है, वे दूसरी कंपनियों में निदेशक के पद पर काम करेंगे।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव वित्त, रामेश्वर सिंह, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग अजय नायक, ललन प्रसाद व टुनटुन झा, सदस्य बिजली बोर्ड।

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक : प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष, बिजली बोर्ड
पूर्णकालिक निदेशक, कार्मिक एवं प्रशासन : राणा अवधेश सिंह, सदस्य, बिजली बोर्ड
पूर्णकालिक निदेशक, वित्त: विनायक चंद्र गुप्ता, सदस्य वित्त एवं राजस्व, बिजली बोर्ड

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, सदस्य (प्रशासन, वित्त एवं राजस्व, उत्पादन), बिजली बोर्ड

अध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष
प्रबंध निदेशक : टुनटुन झा, सदस्य संचरण, बिजली बोड

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, सदस्य (वित्त एवं राजस्व, उत्पादन एवं संचरण), बिजली बोर्ड।

अध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष, बिजली बोर्ड
प्रबंध निदेशक : ललन प्रसाद, सदस्य उत्पादन, बिजली बोर्ड।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, सदस्य (वित्त एवं राजस्व, उत्पादन एवं संचरण) बिजली बोर्ड

अध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष, बिजली बोर्ड
प्रबंध निदेशक : राणा अवधेश कुमार, सदस्य, प्रशासन बिजली बोर्ड

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक अंशकालिक : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, सदस्य (प्रशासन, उत्पादन एवं संचरण) बिजली बोर्ड

अध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष, बिजली बोर्ड
प्रबंध निदेशक : विनायक चंद्र गुप्ता, सदस्य वित्त एवं राजस्व, बिजली बोर्ड

सभार : प्रभात खबर – 03.04.2012

बिहार शताब्दी समारोह सम्पन्न

* सबको बिहारीपन का एहसास करा गया समारोह * महकी माटी की खुशबु * व्यापक जनभागीदारी से यादगार बन गया शताब्दी समारोह

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 22-24 मार्च 2012 तीन दिनों तक आयोजित बिहार शताब्दी समारोह मूर्त्त रूप लेकर भव्य सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। समारोह माटी की खुशबू और बिहारीपन का एहसास करा गया। इसके ब्रांडिंग सूत्र तीन थे- शताब्दी समारोह का लोगो, समारोह का नारा-हमारा बिहार एवं देश-विदेश में उत्सव के रूप में इसका आयोजन। शिक्षा विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग तथा पर्यटन विभाग सहित कई विभाग की भूमिका शताब्दी समारोह में अहम रही। शांति-व्यवस्था कायम रखने में पटना पुलिस प्रशासन का कार्य भी सराहनीय रहा।

बिहार शताब्दी वर्ष पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और उसमें आम जनता की भागीदारी आश्वस्त करनेवाली रही। पहले दिन राज्य गीत, बिहार प्रार्थना और अद्भूत लेजर शो के साथ गाँधी मैदन में पार्श्व गायक उदित नारायण ने अपने लोकप्रिय गाने सुनाये। नयी कोरियोग्राफी के साथ सौ कलाकरों ने बिहार गौरव गान प्रस्तुत किया। कार्यक्रमों का सिलसिला माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्बोधन के बाद शुरू हुआ। काफी देर तक माननीय मुख्यमंत्री भी श्रोताओं के साथ मंत्र-मुग्ध रहे। कवि सत्यनारायण रचित ''राज्य गीत'' और उसके बाद एम आर चिश्ती रचित "बिहार प्रार्थना" की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति थी।

समारोह के अंतिम दिन तो जनसैलाब उमड़ पड़ा, मानो पूरा शहर घरों से निकल पड़ा हो। इस समारोह को 100वें वर्ष के चरमोत्कर्ष देने की परिकल्पना जो साकार करनी थी। पूरे आयोजन में बिहार की संस्कृति, भाषा, संस्कार और सरोकर की अनुगूंज रही। राज्य के कोने-कोने से आयी 3000 महिलाओं ने अपनी भाषा में गीत गाये। नाटक और प्रहसन की प्रस्तुततियाँ की। किशोरियों और चुनकर आये बच्चों ने बिहार की मजबूत भविष्य का संकेत दिया। समारोह में लोगों का जोश पहले दिन जैसा ही था। बिहारी होने का गर्व सबके चेहरे पर परिलक्षित हो रहा था। बिहार को एक नई उँचाई तक पहुँचाने को लोग शायद मन ही मन प्रण भी कर रहे थे। पटना शहर के इमारतों को लोगों ने नीले रंग की रौशनी से रौशन कर रहा था।

सौ साल के सफर पर हुए इस समारोह का गवाह बना गाँधी मैदान। कहीं विज्ञान प्रदर्शनी, कहीं उद्योग शिल्प प्रदर्शनी, कहीं नुक्कड़ नाटक, कहीं कवि सम्मेलन, कहीं मुशायरा व परिचर्चा, कहीं पुस्तक मेला तो कहीं व्यंजन मेला, कहीं डॉक्यूमेंट्री के द्वारा बिहार संस्कृति की झलक तो कहीं तस्वीरों के जरिये बिहार के गौरवमयी इतिहास का बोध। उड़ते हुए गुब्बारे उँचाई पर पहुँचने को बेताब थे, तो उड़ती हुई धूल बिहारी माटी की खुशबू बिखेर रही थी। दिन में बिहार का गाँव दिखता था तो रात में राजधानी का बिहार। दिन में आधी आबदी की धमक, तो रात में सुर-सम्राटों की चमक । दिन में चकवा-चकइया हम दुनो..... तो रात में दमादम मस्त कलंदर ..... कहीं फोक का जलवा, तो कहीं शास्त्रीय संगीत की सरिता। एस के मेमोरियल हॉल में मूर्धन्य पंडित जसराज, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, राम कुमार मिश्र, तो गाँधी मैदान में जावेद अख्तर, हेमा मालिनी, उदित नारायण, कैलाश खेर। सब इस ऐतिहासिक शताब्दी समारोह के साक्षी बने। सबों ने माना बिहार सच में बदल चुका है और भविष्य मे नई बुलंदियों को छू कर रहेगा । तीन दिनों तक चले इस समारोह की याद लोगों को वर्षों ताजा रहेगी।

शताब्दी समारोह पर चैम्बर द्वारा संदेश एवं शुभकामना व्यक्त

तीन दिनों तक आयोजित बिहार शताब्दी समारोह पर चैम्बर की तरफ से पटना के कई स्थानों पर होर्डिंग, बैनर के माध्यम से सबों को शताब्दी समारोह की शुभकामनाएं व्यक्त की गयी एवं इस शताब्दी वर्ष पर अपना संदेश भी दिया। चैम्बर कार्यालय भवन को नीली रौशनी से रौशन भी किया गया।

नीली रौशनी से जगमग चैम्बर कार्यालय भवन

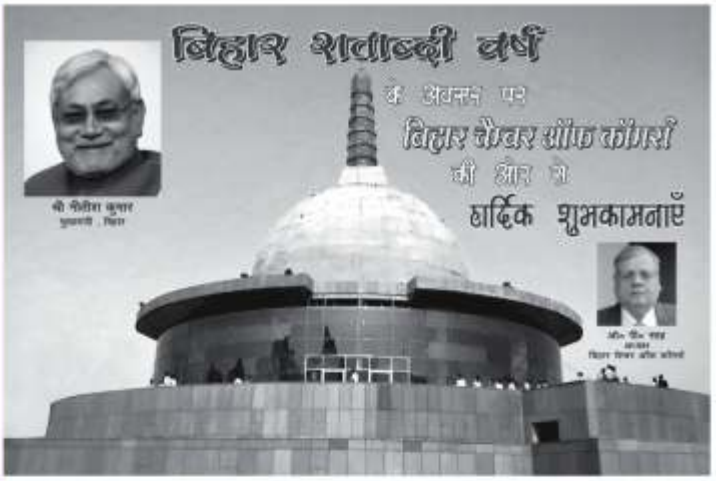

शताब्दी समारोह के अवसर पर चैम्बर द्वारा लगाये गये संदेश एवं शुभकामना–युक्त बैनर

NOTIFICATION ON VAT AUDIT & LIST OF DEALERS SELECTED FOR AUDIT

The Department of Commercial Texes Bihar, has issued a notification regarding selection of dealers of VAT audit. It has also released a list of the dealers which have been selected for VAT Audit for the year 2010-11. Both these documents are available on the website of the Commercial Taxes Department (www.biharcommercialtax.gov.in). The same is also available in Chamber's office. Desirous members may contact the office for getting a copy of the same.

Important Gazette Notification Which is Available in Chamber

The Government of Bihar vide its gazette notification no. L.G.-1-4/2012/Leg. 293 dated 31.3 2012 has made certain amendments in :-

a) Various sections of the Bihar Value Added Tax 2005 such as Sections 16, 19, 24, 35 and 41 has been amended by the government besides insertion of new sections regarding Compounding of tax liability, Refunds in certain cases and Extension of time limit and prescription of forms is certain cases.
b) Amendment and Validation of Bihar Electricity Duty Act, 1948
c) Amendment in Bihar Tax on Professions, Trades, Callings Employments Act, 2011
d) Amendment in Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994.

The above gazette notification is available in Chamber's office. Desirous members may contact the office for getting a copy of the same.

Chamber 's Representation on Zrucc, East Central Railway, Hajipur and Zrucc, Eastern Railway, Kolkata

Shri Govind Kanodia

Shri Govind Kanodia, India Pharmaceuticals, Chowk Shikarpur, Patna City has been nominated to represent the Chamber on ZRUCC, Eastern Railway, Kolkata for the term 2011-2013.

Shri Pawan Kr. Sureka

Shri Pawan Kumar Sureka, President, Divisonal Chamber of Commerce & Industry, Darbhanga has been nominated to represent the Chamber on ZRUCC, East Central Railway, Hajipur for the term 2011-2013.

Members are requested to sent their problems / suggestions to our above mentioned representatives with a copy to Bihar Chamber of Commerce.

मुद्दा बिहार के विशेष राज्य का

विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक में बिहार ने इसके लिए पुरजोर तर्क दिए और अपनी मांग को वाजिब बताया।

बिहार का तर्क

• कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उत्पादकता कम, बीपीएल परिवारों की सार्वधिक संख्या • औद्योगिक विकास नगण्य, बड़े निजी निवेश की अभाव • बिजली की खराब हालत, सिंचाई सुविधा नगण्य • प्रति व्यक्ति आय-केन्द्रीय निवेश में पिछड़ा, लगातार घटती केन्द्रीय सहायता • चौतरफा जमीन से घिरा होने से महंगा व्यापार, शहरीकरण की धीमी रफ्तार • बंटवारे के बाद खान-खनिज का अभाव, राज्य का 73 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ग्रस्त • 700 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा • दक्षिणी इलाका पहाड़ी तो उत्तरी इलाका बाढ़ग्रस्त, 10% भूमि पर हमेशा जलजमाव

केन्द्रीय निवेश की खराब हालत

आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में केन्द्रीय निवेश की खराब हालत की तस्वीर सामने आ जायेगी। 2004-05 प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश का राष्ट्रीय औसत 2059 रुपये था जो वित्तीय वर्ष 2008-09 में दोगुना बढ़कर 4144 रुपये हो गया। दूसरी तरफ इसी अवधि में बिहार में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश में मात्र 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इन दो वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश का औसत क्रमश: 376 रुपये और 396 रुपये रहा।

कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता

उपजाऊ मिट्टी, अच्छा मौसम और मेहनतकश किसान कृषि प्रधान राज्य बिहार की ताकत हैं लेकिन पहली हरित क्रांति के ही समय से आधुनिक तकनीक अभाव और निवेश की कमी उत्पादक्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। बिहार में चावल 1120 कि./हेक्टेयर और गेहूँ 2084 कि./ हेक्टेयर का उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर चावल और गेहूँ के उत्पादन का राष्ट्रीय औसत 2125 किलोग्राम और 2839 किलोग्राम है। अगर मदद मिल जाए तो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा की गारंटी बिहार ले सकता है।

औद्योगिकीकरण नगण्य

वित्तीय वर्ष 2007-08 में बिहार में फैक्ट्रियों की संख्या 1785 थीं। इसी दौरान देश में 146385 फैक्ट्रियाँ थीं। बिहार की औद्योगिक इकाईयों में 73676 लोग कार्यरत थे जबकि देश में कार्यरत लोगों की संख्या 10452535 थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्थिति और खराब हो गयी। उस वर्ष बिहार में फैक्ट्रियों की संख्या 1777 और देश में फैक्ट्रियों की संख्या 155321 थी। बिहार में 73659 लोग कार्यरत थे जबकि देश में 11327487 लोगों को रोजगार मिला हुआ था।

आधारभूत संरचना विकास में मदद की जरूरत

बिहार का 73 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ग्रस्त है। बाढ़ की वजह से हरेक वर्ष बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना और जान-माल की क्षति होती है। नदियों की धारा को देखते हुए राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कें की उँचाई बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा भारी संख्या में पुल-पुलिया और ऊंचे स्थलों पर सुरक्षित भवन निर्माण की जरूरत है।

विशेष दर्जा प्राप्त राज्य और बिहार की प्रति व्यक्ति आय

राज्य	रुपये
हिमाचल प्रदेश	47106
सिक्किम	47655
उत्तराखण्ड	44723
नागालैण्ड	40957
अरुणाचल प्रदेश	37417
त्रिपुरा	37216
मिजोरम	36732
मेघालय	35932
जम्मू-कश्मीर	27607
मणिपुर	23298
असम	21406
बिहार	**13632**

वर्षवार विकासात्मक व्यय/व्यक्ति

प्रदेश	रुपये
हरियाण	22730
आंध्रप्रदेश	22299
महाराष्ट्र	17996
गुजरात	16540
तमिलनाडु	16400
पंजाब	15953
केरल	13953
ओडिशा	12719
राजस्थान	12206
मध्यप्रदेश	11084
राष्ट्रीय	14591
बिहार	**8179**

प्रति व्यक्ति आय (2010-11)

प्रदेश	रुपये	प्रदेश	रुपये
महाराष्ट्र	62729	कर्नाटक	39301
हरियाणा	59221	पश्चिम बंगाल	32338
गुजरात	52708	ओडिशा	25708
तमिलनाडु	51928	मध्यप्रदेश	22382
केरल	49873	उत्तरप्रदेश	17349
पंजाब	44752	राष्ट्रीय	35993
आंध्रप्रदेश	40366	बिहार	13632

पंचवर्षीय योजनावार प्रति व्यक्ति आय में बढ़ता अंतर

योजना	वर्ष	बिहार	राष्ट्रीय	अंतर(%)
पहली	1951-56	4940	7543	34.51
दूसरी	1956-61	5724	8281	30.88
तीसरी	1961-66	5906	8476	30.33
चौथी	1969-74	4675	10908	57.14
पांचवी	1974-78	5240	11840	44.26
छठी	1980-85	6530	13011	49.81
सातवी	1985-90	6656	15207	56.23
आठवी	1990-97	6602	18642	64.58
नौवीं	1997-02	6973	21188	67.91
दसवीं	2002-07	9150	28330	67.70
ग्यारहवीं	2007-12	15268	38425	60.27

पंचवर्षीय योजनावार राशि का आवंटन (करोड़ रुपये)

योजना	बिहार	राष्टीय औसत	अंतर कीमत (तत्कालीन)	अंतर (कीमत) (वर्तमान)
पहली	104.00	432.22	318	16822.91
दूसरी	194.20	465.40	271.20	16764.43
तीसरी	337.04	793.08	456.04	22712.84
चौथी	531.28	1703.61	1172.33	31642.76
पांचवी	368.67	2732.92	2364.25	36378.04
छठी	3225.00	10374.40	7149.40	94410.61
सातवी	5100.00	18777.12	13677.10	116338.78
आठवी	13000.00	18609.38	5609.38	25116.02
नौवीं	16680.00	36850.72	20170.70	53802.22
दसवीं	21000.00	46972.25	25972.30	47212.50
ग्यारहवीं	60631.00	141203.00	80572.00	116037.29

सभार : हिन्दुस्तान - 27.3.2012

मप्र में अब नहीं लगेगा बिजली, कपड़े और शक्कर पर वैट

मध्यप्रदेश सरकार ने कपड़ा, शक्कर और बिजली पर लगाया पांच फीसद वैट वापस ले लिया है। राज्य के 2012-13 के बजट में यह कर लगाने का प्रस्ताव किया गया था।

विस्तृत समाचार - जनसत्ता - 29.3.

बिहार में कपड़े और चीनी पर लगेगा वैट

बिहार सरकार अब कपड़ों और चीनी पर भी वैट लगाने की सोच रही है। राज्य सरकार के अधिकारियों मुताबिक इन पर लगने वाले अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क को खत्म कर दिया गया है, जिससे सरकारी खजाने की कमाई में कमी आ रही है। इसमें कमाई को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार इन उत्पादों पर 4-5% वैट लगाने की सोच रही है।

विस्तृत समाचार : बिजनेस स्टैंडर्ड - 13.04.2012

जमीन–मकान की रजिस्ट्री महंगी

राजधानी समेत सूबे के तमाम जिलों में जमीन के सर्किल रेट में पहली अप्रैल से बढ़ोतरी। इस बार शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी अधिक सर्किल रेट बढ़ाया गया है। राजधानी में फ्लैटों की बढ़ ही कीमत के बाद अब इसके निबंधन में भी लोगों को अपनी अंटी कुछ अधिक ही हल्की करनी पड़ेगी। शहर में एक-एक फ्लैट के निबंधन में अब 30 से 60 हजार रुपये तक अधिक देने होंगे। पहले जहाँ दीघा की जमीन का सर्किल रेट 8 लाख रुपये प्रति कट्ठा तय था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति कट्ठा कर दिया गया है। पहले यहां की जमीन के निबंधन में 80 हजार रुपये लगते थे, अब 1.5 लाख रुपये लगेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जोन जम्प होने पर प्रति वर्गफीट 400-500 रुपये की चपत लेगगी अर्थात पहले जो जोन दो में था उसे अब जोन 3 में कर दिया गया है। जहाँ 1000 रुपये प्रति वर्गफीट की जगह 1600 रुपये प्रति वर्गफीट का सर्किल रेट देना होगा। इतना ही नहीं गाँव की कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट में भी 30 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। सबसे अधिक ग्रेटर पटना अर्थात बिहटा, नौबतपुर, मनेर, गौरीचक, परसाबाजार, पुनपुन, बिक्रम, फतुहा व दनियावां क्षेत्र में जमीन का सर्किल रेट बढ़ाये जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में आज भी कहीं जमीन की कीमत दस हजार रुपये प्रति कट्ठा है। जबकि वास्तविक दर 3-4 लाख रुपये प्रति कट्ठा तक पहुँच गयी है। दीघा की जमीन को पहले जोन दो में रखा गया था। अब इसे जोन 3 में कर दिया गया है। इस क्षेत्र में पहले फ्लैट लेने पर 1800 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित थी। जब जोन जंप होने के बाद यह 2400 रुपये प्रति वर्गफीट हो गयी है।

जिला अवर निबधंक ए. के. ठाकुर की मानें तो शहर के आसपास की जमीन के सर्किल रेट में काफी इजाफा हुआ है। पहले जहां 20 से 50 हजार रुपये प्रति कट्ठा की दर से सर्किल रेट निर्धारित था, वहाँ का सर्किल रेट अब 80 हजार से 2 लाख रुपये तक निर्धारित किया गया है। अपार्टमेंट के फ्लैट का सर्किल रेट पहले से 200 रुपये प्रति वर्गफीट अधिक बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि शहर को पांच जोन में बांटा गया है। जोन एक में शहर को पाँच जोन में बांटा गया है। जोन एक में शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ बने-बनाये मकानों के निबंधन पर 200 रुपये प्रति वर्गफीट अधिक देने होंगे। दीघा, बेली रोड, सगुना मोड़, खगौल, न्यूबाईपास रोड, बिस्कोमान कालोनी आदि मोहल्लों के अपार्टमेंट को पहले जोन दो में रखा गया था। इसके लिये पहले 1000 से 1200 रुपये प्रति वर्गफीट का सर्किल रेट निर्धारित किया गया था। पिछले ही साल इसे जंप करके जोन 2 से 3 में लाया गया था। जहां अब 1600 से 2200 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से सर्किल रेट तय किया गया है। बेली रोड, राजाबाजार, शेखपुरा, आरा गार्डेन, राजीव नगर, शास्त्री नगर, पटेल नगर व महेश नगर, बोरिंग रोड आदि क्षेत्रों की भूमि को पहले जोन चार में रखा गया था। अब इसे जोन 5 में कर दिया गया है। पहले यहां आवसीय 2200 रुपये प्रति वर्गफीट था जो अब बढ़ाकर 2700 रुपये कर दिया गया है।

मोहल्ला	पहले	अब/प्रति कट्ठा
दीघा	8 लाख	15 लाख
मजिस्ट्रेट कालोनी	10 लाख	19 लाख
खाजपुरा	13 लाख	33 लाख
ज्योतिपुरम	12 लाख	20 लाख
शेखपुरा	13 लाख	33 लाख
राजाबाजार	13 लाख	33 लाख
बेली रोड	13 लाख	33 लाख
अनिसाबाद	11 लाख	21 लाख
गर्दनीबाग	11 लाख	21 लाख
बेउर	6 लाख	15 लाख
बोरिंग रोड	8 लाख	33 लाख
पाटलिपुत्र	6 लाख	27 लाख
गोरियाटोली	26 लाख	33 लाख
एक्जीबिजन रोड	26 लाख	33 लाख
जक्कनपुर	15 लाख	22 लाख
जगनपुरा	12 लाख	16 लाख
पोस्टलपार्क	13 लाख	20 लाख
चांदमारी रोड	13 लाख	22 लाख
कंकड़बाग	15 लाख	40 लाख
पत्रकारनगर	14 लाख	26 लाख
कदमकुआं	15 लाख	26 लाख
दरियापुर	15 लाख	20 लाख
हथुआ मार्केट	26 लाख	33 लाख

सभार – दैनिक जागरण – 01.04.2012

गोदाम के लिए मिलेगा 50% अनुदान

गोदाम बनवाने के लिए सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देगी। किसी भी व्यक्ति को निजी जमीन पर 200 टन क्षमता के गोदाम बनाने के लिए पांच लाख रुपये दिये जायेंगे। राज्य में गोदामों की कमी दूर करने के लिए इसी वित्तीय वर्ष से यह योजना शुरू की जा रही है। सरकार ने पांच वर्षों में अनाज भंडारण क्षमता छह गुना अधिक करने का लक्ष्य रखा है।

भंडारण क्षमता बढ़ेगी

वर्तमान में राज्य में अनाज भंडारण क्षमता विभिन्न एजेंसियों के गोदामों को मिल कर मात्र 9.48 लाख टन है। 2022 तक राज्य में भंडारण क्षमता 85 लाख टन की जानी है। प्राइवेट सेक्टर में गोदाम नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगले पांच वर्षों में 15.77 लाख टन क्षमता के गोदाम विकसित करने का लक्ष्य है। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजानाएं शुरू की गयी हैं। पिछले वर्ष की तुलना में धान उत्पादन 20 प्रतिशत अधिक हुआ है। अन्य फसलों का उत्पादन भी अधिक होने की संभावना है। ऐसे में अनाज भंडारण के लिए अधिक गोदाम की आवश्यकता है। इस वर्ष धान खरीद लक्ष्य 30 लाख टन रखा गया है। गोदाम की कमी के कराण कई जिलों में धान खरीद बाधित हो रही है।

यहां दें आवेदन

गोदाम बनवाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी के नाम से आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ गोदाम बनाने की जगह, सड़क मार्ग की सुविधा सहित अन्य जानकारियां भी देनी होंगी। साथ जमीन के कागज की प्रति देनी होगी। जांच के बाद आवेदन स्वीकृत होने पर अनुदान की पांच लाख रुपये की राशि दे दी जायेगी।

एजेंसी	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य2017	लक्ष्य 2022
पैक्स	2.62	8.80	15.64
व्यापार मंडल	0.46	1.95	3.41
विस्कोमान	2.45	3.45	4.45
राज्य भंडार निगम	2.60	10	25.10
राज्य खाद्य निगम	1.35	10	21.35
केंद्रीय भंडार निगम	- -	8	5
प्राइवेट सेक्टर	- -	15.77	
कुल	9.48	55.52	85

(क्षमता लाख टन में)

साभार : प्रभात खबर – 07.04.12

10 लाख से ज्यादा इनकम पर ऑनलाइन रिटर्न जरूरी

अगर आपकी इनकम में 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (ई-फाइलिंग) के जरिए भरना पड़ेगा। हालांकि, 10-15 लाख रुपए कमाने वालों के लिए ई-फाइलिंग के साथ डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी नहीं होगा। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2011-2012 में 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग को जरूरी कर दिया है। इस बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। मौजूदा रूल के मुताबिक, 60 लाख से ज्यादा कमाने वाले बिजनेस हाउसेज और 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले इंडिविजुअल्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर के साथ ई-फाइलिंग जरूरी है।

विस्तृत समाचार : आई नेक्स्ट – 13.04.2012

राजस्व वसूली (वाणिज्य-कर) विभाग

वाणिज्यकर विभाग	लक्ष्य (करोड़ में)	वूसली
केंद्रीय प्रमंडल	5689	5452
पटना प्रमंडल	1382	1321
गया प्रमंडल	237	238
तिरहुत प्रमंडल	525	494
दरभंगा प्रमंडल	512	428
पूर्णिया प्रमंडल	264	220
भागलपुर प्रमंडल	230	263

साभार : हिन्दुस्तान – 02.04.2012

असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं पारंपरिक शिल्पकारों सहित मेहनत से अपनी रोजी-रोटी चलानेवाले योजनांतर्गत परिभाषित हुनरमंद्धों के-

- स्वाभाविक मृत्यु तथा दुर्घटना मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को क्रमशः रू०30000/- (तीस हजार रुपये) तथा रू० 100000/- (एक लाख रुपये) अनुदान का प्रावधान।
- दुर्घटना में पूर्ण / आंशिक अपंगता की दशा में क्रमशः रू० 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) एवं रु० 75000/- (पचहत्तर हजार रुपये) के अनुदान की व्यवस्था।
- दुर्घटना के कारण अस्पताल में कम से कम 5 दिनों तक भर्ती रहने की दशा में रु० 5000/- (पाँच हजार रुपये) की चिकित्सीय सहायता।
- दो बच्चों तक को वार्षिक छात्रवृत्ति रू० 100/- (एक सौ रुपये) प्रति माह की दर से प्रदान की जाएगी।

असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु निम्नानुसार अनुदान की व्यवस्था :-

क्र. सं.	बीमारी का नाम	उपचार की प्रकृति	चिकित्सकीय सहायता की राशि (रु०)
1.	कैंसर	शल्य चिकित्सा (शल्य क्रिया के साथ)	25000
		बगैर शल्य चिकित्सा (बिना शल्य क्रिया)	15000
2.	ह्रदय रोग	डी. भी. आर (डबल भाल्भ रिप्लेसमेंट)	30000
		एम.भी.आर (मित्रल भाल्भ रिप्लेसमेंट)	25000
		पेस मेकर	25000
		स्टेनोसिस/बैलून भालभोटोमी	15000
		सी.ए.बी.जी. (कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट)	25000
		पी.टी.सी.ए. परक्युटिनियस ट्रांसलुमिनियस कोरोनरी एंजियो प्लास्टी	25000
		ए. एस. डी. (एट्रिल सेप्टल डिफेक्टस)/भी. एम. डी.	15000
3.	रिनल (किडनी) बीमारी	शल्य चिकित्सा (शल्य क्रिया के साथ)	30000
4	ब्रेन ट्यूर	लघु शल्य क्रिया	10000
		वृहद	20000
5	एड्स	मेडिकल एटेंडेंट के निर्णय के अनुरूप	25000
6	पूर्ण कुल्हा एवं घुटना बदलना	शल्य क्रिया द्वारा	10000
7	वृहत् भसकुलर शल्य चिकित्सा	शल्य क्रिया द्वारा	10000
8	बोन मैरो ट्रांसप्लाटेशन	शल्य क्रिया द्वारा	10000
9	स्पाइनल शल्य चिकित्सा	शल्य क्रिया द्वारा	7500

साभार-हिन्दस्तान - 29.03.2012

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों की सेवा में वित्तीय वर्ष 2012-2013 के सदस्यता शुल्क हेतु विपत्र चैम्बर कार्यलय से निर्गत किया जा चुका है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेजकर हमें अनुग्रहित करे।

LIST OF HOLIDAYS OF THE CHAMBER FOR THE YEAR 2012

Name of Holidays		Date	Day	No. of days
1.	New Year's Days	01.01.2012	Sunday	01
2.	Republic Day	26.01.2012	Thursday	01
3.	Basant Panchami	28.01.2012	Saturday	01
4.	Holi	08.03.2012	Thursday	02
		09.03.2012	Friday	
5.	Independence Day	15.08.2012	Wednesday	01
6.	Birthday of Mahatma Gandhi	02.10.2012	Tuesday	01
7.	Durga Puja	22.10.2012	Monday	03
		23.10.2012	Tuesday	
		24.10.2012	Wednesday	
8.	Deepawali	13.11.2012	Tuesday	01
9.	Chhath Puja	19.11.2012	Monday	02
		20.11.2012	Tuesday	
10.	Kartik Purnima & Guru Nanak Janyanti	28.11.2012	Wednesday	01

Restricted holidays

Employees can avail only there restricted holidays which are as follows-

1.	Chehallun	15.02.2012	Sunday
2.	Mahashivratri	20.02.2012	Monday
3.	Ramnavmi	01.04.2012	Sunday
4.	Mahavir Jayanti	05.04.2012	Thursday
5.	Raksha Bandhan	02.08.2012	Thursday
6.	Sri Krishna Janamashtmi	10.08.2012	Friday
7.	Eid-Ul-Fitr	19.08.2012	Sunday
8.	Eid-Ul-Zoha (Barkrid)	26.10.2012	Friday
9.	Chitragupta Puja Bhaia Duj	15.11.2012	Thursday
10.	Muharram	24.11.2012	Saturday
11.	X-Mas Day	25.12.2012	Tuesday

बहुरेंगे सूबे के चर्म उद्यमियों के दिन

सूबे में मेगा लेदर पार्क बनाने के लिए भारत सरकार का पटना स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग (एमएसएमई) बिहार सरकार के उद्योग विभाग को मसौदा सौंपेगा। उम्मीद है कि मंजूरी मिलने के बाद दो साल में यह पार्क तैयार हो जाएगा। जिससे सूबे के चर्म उद्यमियों के दिन भी बहुरेंगे। बिहार सहित देश में सात मेगा लेदर पार्क बनाने के लिए मंजूरी बीते मार्च माह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को सौंप देगा।

70 फीसदी खर्च वहन करेगा केंद्र - मेगा लेदर पार्क की चार श्रेणियां मसौदे में हैं। 40 से 60 एकड़, 61 से 100 एकड़, 101 से 150 एकड़ और 151 एकड़ से अधिक। जिस श्रेणी को बिहार सरकार एप्रूव करेगी, उसी के मुताबिक पार्क बनेगा और सहायता राशि मिलेगी। इन पर भारत सरकार क्रमशः 50, 70, 105 और 125 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो कुल लागत का 70 फीसदी होगा। शेष 30 फीसदी राशि इस पार्क में यूनिट लगाने वाले उद्यमी करेंगे। एमएसएमई चाहता है कि भूमि फतुहा अथवा पहाड़ी से लेकर कच्ची दरगाह के बीच मिले, जिससे पटना सिटी का पुराना चर्म उद्योग पुनर्जीवित हो सके।

दो तरह फायदा उठा सकेंगे चर्म उद्यमी -वैस उद्यमी जो इस पार्क में यूनिट लगाना चाहते हैं, उन्हें 30 फीसदी राशि खर्च करनी होगी। दूसरे, वैसे उद्यमी भी लाभ ले सकेंगे जो निवेश नहीं करना चाहते हैं। वे सामान सुविधा केंद्र के तहत यहीं से चमड़ा खरीदकर अपने उत्पादों का निर्माण कर सकेंगे। एमएसएमई के क्लस्टर अधिकारी संजीव आजाद ने बताया कि मंजूरी के बाद ही आगरा में यूनिट चलाने वाले सात बिहार चर्म कारोबरी संपर्क में हैं। वे इन पार्क में यूनिट लगाने के इच्छुक हैं। **विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण - 11.04.**

EDITORIAL BOARD

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

ज्ञीमउबीदक बैनकौंलल डंतहए च्चंदं . 800 001 ख चेग 0612.3200646ए 2677605ए 2677635ए थ्ंग ब्ग्र रू 0612.2677505ए म्उंपस रू इबबचंजदं/हउंपसण्बवउ

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296